बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
संकल्प

विषयः— **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) के दिशा–निदेश के आलोक में राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा डिप्लोमा संस्थानों मे स्वीकृत कुल प्रवेश क्षमता के 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में पार्श्व–प्रवेश (Lateral Entry) के माध्यम से सीधे नामांकन एवं प्रथम वर्ष में 05 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के नामांकन के संबंध में।**

अभियंत्रण पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) के माध्यम से सीधे नामांकन (Lateral Entry) के संबंध में अभातशिप द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निदेश के अनुरूप अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा डिप्लोमा संस्थानों मे स्वीकृत कुल प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश (Lateral Entry) लिये जाने का प्रावधान था। तद्नुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद् के माध्यम से उक्त योजना के अन्तर्गत प्रवेश लिया जाता रहा है।

2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, की अनुमोदन पुस्तिका (2011–12) में की गई अनुशंसा, के आलोक में कुल प्रवेश क्षमता के 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों तथा इसके अलावे द्वितीय वर्ष में रिक्त सीटों पर भी प्रवेश (Lateral Entry) लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

3. अभातशिप की ''शिक्षण शुल्क छुट'' योजनान्तर्गत वैसे आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय् रू0–4.50 लाख से कम हो, का प्रवेश अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा डिप्लोमा संस्थानों मे स्वीकृत प्रथम वर्ष में कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 05 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर लिये जाने का भी प्रावधान किया गया है।

4. अभातशिप की उक्त अनुशंसायें राज्य सरकार के विचाराधीन थी। सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है किः—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) एवं राज्य सरकार के दिशा–निदेश एवं शर्त्तो के अध्यधीन विभागार्न्तगत अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा डिप्लोमा संस्थानों मे कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों सहित द्वितीय वर्ष में रिक्त सीटों पर अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) के माध्यम से सीधे नामांकन एवं प्रथम वर्ष में 05 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों का नामांकन किया जाय।

5. (i) द्वितीय वर्ष में रिक्त सीटों की गणना निम्न प्रकार से की जायेगीः—

रिक्त सीटों की संख्या (S)=SI-(SI-C-F+B)

SI-स्वीकृत प्रवेश क्षमता

C-प्रथम वर्ष में रद् सीटों की संख्या

F-छात्रों की संख्या जो द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत नहीं हो सके।

B-पूर्व सत्र के छात्र जो द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत हुए।

(ii) प्रथम श्रेणी से (10+2) व्यावसायिक शिक्षा तथा दो वर्षीय आई0 टी0 आई0 उतीर्ण छात्र/छात्रायें पोलिटेकनिक संस्थानों के द्वितीय वर्ष में संबंधित शाखा में प्रवेश के पात्र होगें।

(iii) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (तीन वर्षीय) तथा बी0एस–सी0 (गणित के साथ) उर्तीण छात्र/छात्रायें अभियंत्रण संस्थानों के द्वितीय वर्ष में संबंधित शाखा में प्रवेश के पात्र होगें।

6. उक्त अतिरिक्त सीटों पर किसी अन्य श्रेणी के छात्रों का नामांकन नहीं हो सकेगा तथा रिक्त सीटें स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. सरकारी तकनीकी संस्थानों के सभी सीटों पर तथा मान्यता प्राप्त निजी तकनीकी संस्थानों में विभाग द्वारा कर्णाकिंत सीटों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से मेधा–सह–विकल्प के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा।

8. उक्त प्रवेश योजना पर बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम लागू होगें।

9. निजी संस्थानों के मामले में अभातशिप के वार्षिक अनुमोदन पत्रों पर दर्शीयी गई कमियों को दूर करने पर ही उक्त अतिरिक्त स्थानों (सीटों) पर नामांकन किया जा सकेगा।

10. अभातशिप द्वारा समय–समय पर प्रदत्त दिशा–निदेश के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा संकल्प निर्गत किया जा सकेगा ।

11. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति संबंधित पदाधिकारियों/संस्थानों/संगठनों को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/4

उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांकः– वि0 प्रा0 (।।) व^{2}–39/2004 /948 /पटना, दिनांक– 17.4.12

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/4

उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग